संख्याः– 101 / नौ–7 / 21–27(ज) / 2014टी0सी0 1

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनॉक 24 जनवरी, 2021**

विषयः प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 24.01.2021 से 26.01.2021 तक विशेष सफाई अभियान चलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप सभी अवगत है कि दिनांक 24.01.2021 को उ0प्र0 दिवस मनाया जा रहा है। उ0प्र0 दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिनांक 24.01.2021 से 26.01.2021 तक प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विशेष सफाई अभियान के दौरान पूर्व में निर्गत संगत शासनादेशों के अनुरूप विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यवाही प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में प्रभावी रूप से तत्काल सुनिश्चित की जायेः–

(1) सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नगरीय निकाय स्तर पर विशेष कार्य दल, जिसमें सक्षम स्तर के अधिकारी / कर्मचारी व कूड़ा उठाने के वाहन, मशीन व अन्य उपकरणों के साथ क्षेत्र में निकलेंगे व स्वयं की देख–रेख में निर्धारित क्षेत्र को साफ करायेंगे।

(2) सफाई अभियान नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में संचालित किया जायेगा। सफाई के दौरान एकत्रित किये गये कूड़े को उसी समय सेनेटरी लैण्डफिल साइट / प्रोसेसिंग प्लान्ट / कम्पोस्ट पिट पर भिजवाया जाय।

(3) शहरी क्षेत्रों के खुले नाले / नालियों के ढकने की व्यवस्था की जाय, तथा सफाई अभियान के दौरान छोटे–बड़े सभी नाले / नालियों की सफाई भी सुनिश्चित की जाय।

(4) नाले से निकला हुआ सिल्ट तत्काल वहां से सेनेटरी लैण्डफिल साइट पर अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जायेगा। किसी भी दशा में एकत्रित किये गये कूड़े अथवा सिल्ट को सड़क पर नहीं छोड़ा जाय।

(5) स्वच्छता के अभियान में शौचालयों का निर्माण व निर्मित शौचालय के समुचित प्रयोग द्वारा खुले में शौच से मुक्ति (ओ0डी0एफ0) के लक्ष्य को हासिल करना एक महत्वपूर्ण अंग है। इस अभियान के तहत समस्त सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय आदि की समुचित सफाई व रख–रखाव सुनिश्चित कराया जाय।

(6) नगरीय क्षेत्रों में एन्टीलार्वा दवाई का नियमित छिड़काव व फॉगिंग की जाये। इस अभियान के दौरान जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित करके प्रतिदिन, दिन में दवा का छिड़काव किया जाय तथा शाम के समय फॉगिंग की जाय।

Scanned with CamScanner

(7) शहरी क्षेत्रों के भीड़–भाड़ वाले स्थानों/बाजारों/ध्वजा रोहण स्थल पर विसंक्रमण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(8) स्वच्छता एवं साफ–सफाई हेतु आम जन के मध्य जागरूकता का प्रचार–प्रसार करने के लिये विशेष रूप से अभियान चलाया जाये। इस हेतु शहरी क्षेत्रों के भीड़–भाड़ वाले स्थानों/बाजारों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से प्रचार–प्रसार का कार्य कराया जाय।

(9) नगरीय निकायों के अधिकारी अपने–अपने क्षेत्रों में अभियान के दौरान किये गये कार्यों के संबंध में संकलित रिपोर्ट प्रतिदिन निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 (Gooogle link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxV3dhSEasE-1qDRySeR8PSccNQw9 DmEkllAwcqPOyPWw/viewform?vc=0&c=0&w=1) को उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 उक्त रिपोर्ट को संकलित कर शासन को उपलब्ध करायेगें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2– निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय, उ0प्र0।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner